(17) (108)

संख्या 105/XII/07/92(22)/03

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज
उत्तराखण्ड देहरादून।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग दिनांक 23 अप्रैल, 2007

विषयः– उत्तराखण्ड में जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 546/पं0ग्रा0अ0से0अनु0/92(22)/2003 दिनांक 24 सितम्बर 2003 के द्वारा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक का गठन करते हुए 05 अस्थाई पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त अनुश्रवण कोष्ठक के गठन के फलस्वरूप यह अनुभव किया जा रहा है कि जिला पंचायत के नियमित कार्य जैसे जिला पंचायत के अनुश्रवण का कार्य, वित्त आयोग की धनराशि के व्यय, अभिलेखों के रख–रखाव, केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु स्थापित रिवाल्विंग फण्ड के संचालन एवं रख–रखाव आदि के कार्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ गये है, जिसके कारण स्टाफ की कमी अनुभव की जा रही है।

2. अतः जिला पंचायत के कार्यो के शीघ्र एवं त्वरित निस्तारण हेतु जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक हेतु पूर्व स्वीकृत पदों को अतिक्रमित करते हुये निम्नलिखित 07 अस्थाई पदों की उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 28–02–2008 तक के लिये सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क0सं	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये)
1.	संयुक्त निदेशक	01	12000–375–16500
2.	लेखाकार	01	5000–150–8000
3.	आशुलिपिक	01	4000–100–6000
4.	प्रवर सहायक	01	4000–100–6000
5.	कनिष्ठ सहायक	02	3050–75–4590
6.	चतुर्थ श्रेणी	01	2550–55–3200
	योग	07	

क्रमशः 2 पर....

(107)

3 उक्त के अतिरिक्त 01 चतुर्थ श्रेणी एवं 01 चालक के पद को संविदा के आधार पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 30(NP)/वि0अनु0–4/2007 दिनांक 17 अप्रैल 2007 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

19/4/07

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या /XII/07/92(22)/03 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कूमायूँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त निदेशक, पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
8. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त विभाग–4।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
उप सचिव।

(17)

संख्या– /XII/2012/92(22)/2010

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज, निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1, देहरादून दिनांक 23 मई, 2012

विषय– जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, निदेशालय पंचायतीराज हेतु स्वीकृत अस्थाई पदों का स्थायीकरण किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, निदेशालय पंचायतीराज के पत्र संख्या–275/जि0पं0अनु0को0/06/स्था0/2010–11, दिनांक 10 नवम्बर, 2011 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, निदेशालय पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक 23 अप्रैल, 2007 से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई एवं अन्य भत्ते, जो अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

3– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थाई पदों के दिनांक 23 अप्रैल, 2007 से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक कालम 6 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 999/xii/2011/92(22)/2003 दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 को जिसमें इन पदों को वर्ष 2012 में दिनांक 28–02–2012 तक अस्थाई रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पदों की निरन्तरता केवल 28–02–2012 तक के लिये दी गयी थी।

4– उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय आय–व्ययक के अनुदान संख्या 19 लेखाशीर्षक 2515–अन्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–00–आयोजनेत्तर–05–अनुश्रवण कोष्ठक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–118(1)/XXVI(7)/2006 दिनांक 31.08.2006 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौडियाल)
सचिव।

संख्या–432(1)/XII/2012/92(22)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, ओबेराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2–आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3–जिलाधिकारी, देहरादून/संयुक्त निदेशक, पं0 प्रकोष्ठ, निदेशालय पंचायतीराज देहरादून।
4–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 123 लक्ष्मीरोड, देहरादून।
5–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–7/कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उप सचिव

शासनादेश संख्या– /xii/2012/92(22)/2003, दिनांक मार्च,2012 द्वारा जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज विभाग देहरादून में दिनांक 23 अप्रैल, 2007 से स्थायी किये पदों का विवरण।

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूलरूप से सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त निदेशक	1	15600–39100 ग्रेड वेतन–7600	546/पं0ग्राम0अ0से0अनु0/92(22)/2003 दिनांक 24 सितम्बर, 2003	105/XII/2007/92 (22)/2003 दिनांक 23.04.2007	
2	लेखाकार	1	9300–34800 ग्रेड वेतन–4200			
3	आशुलिपिक	1	5200–20200 ग्रेड वेतन–2400			
4	प्रवर सहायक	1	5200–20200 ग्रेड वेतन–2400			
5	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200 ग्रेड वेतन–1900			
6	चतुर्थ श्रेणी	1	5200–20200 ग्रेड वेतन–1800			

(अरूण कुमार ढौडियाल)
सचिव।